Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 49 ⁄ 2021 सी.आई.एस.क्र.– 49 ⁄ 2021

राजेन्द्र मंडल बनाम विद्यानंद मंडल एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
16.07.2025	वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई पैरवी नहीं है। यह वाद प्रतिस्थापित प्रतिवादी एवं प्रतिवादी सं0 4 की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 06.06.2025 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन को संचालित कर प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि प्रतिवादीगण इस वाद में दिनांक 08.01.2025 एवं दिनांक 06.02.2025 को उपस्थित हुये थे परंतु आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण नियत समय के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कर सके जिस कारण से उक्त प्रतिवादीगण को क्रमशः दिनांक 24.05.2025 एवं 18.01.2024 को प्रतिउत्तर देने से वंचित कर दिया गया था। उक्त प्रतिवादीगण के द्वारा लिखित कथन इस आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है। अतः निवेदन है कि दिनांक 24.05.2025 एवं 18.01.2024 के आदेश को वापस लेकर लिखित कथन को ग्रहण करने की कृपा की जाये। वादी द्वारा प्रतिउत्तर न देकर मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी सं0 4 इस वाद में दिनांक 10.08.2022 को ही उपस्थित हो गये थे तथा प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण दिनांक 18.01.2025 एवं 06.02.2025 को इस वाद में उपस्थित हुये परंतु उनके द्वारा नियत समय के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उक्त प्रतिवादीगण को क्रमशः दिनांक 18.01.2024 व 24.05.2025 को लिखित कथन देने से वंचित कर दिया गया था। उक्त प्रतिवादीगण इस वाद में संघर्ष करने के लिये तैयार हैं तथा उनके द्वारा लिखित कथन भी प्रस्तुत किया जा चुका है। इस वाद में वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिये उभय पक्ष के अभिवचन को अभिलेख पर लाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः वादी को हुई असुविधा को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिवादीगण के इस आवेदन को न्यायहित में **500 रूपये खर्च पर स्वीकृत** कर लिखित कथन को ग्रहण किया जाता है। खर्चा वादी को देय होगा। वाद आगामी दिनांक 08.08.2025 वास्ते सुलह वार्ता। हस्ताक्षर ह0 ⁄ – अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	